sions) under Article 356(3) of the Constitution:---

(1) Proclamation dated the 23rd June, 1977 issued by the Vice-President acting as President under clause (2) of article 356 of the Constitution revoking the Proclamation issued by him on the 30th April, 1977 in relation to the State of Uttar Pradesh, published in Notification No. G.S.R. 396(E) in Gazette of India dated the 23rd June, 1977.

(2) Proclamation dated the 23rd June, 1977 issued by the Vice-President acting as President under clause (2) of article 356 of the Constitution revoking the Proclamation issued by him on the 30th April, 1977 in relation to the State of Madhya Pradesh, published in Notification No. G. S. R. 397(E) in Gazette of India dated the 23rd June, 1977.

[Placed in library. See No. LT-487A/ 77]

### 16.34 hrs.

PAYMENT OF WAGES (AMEND-MENT) BILL—contd.

THE MINISTER OF PARLAIMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): I beg to move:

"That the Bill further to amend the payment of Wages Act, 1936, be 'taken into consideration".

The Bill is a simple Bill to enable the introduction of an insurance scheme for Central Government servants. The third Pay Commission had recommended the introduction of an insurance scheme for Central Government servants, which, on a monthly contribution of Rs. 5/-, would provide a cover of Rs. 5,000/- on death while in service to the family of the deceased Government servant, and return of the actual amount contributed by him without addition of any interest in case of superannuation or demission of office for any reason. The Scheme as recommended by the Commission, was to be optional for the existing employees and compulsory for future employees.

This scheme was discussed with the representatives of the staff side in the National Council of the Joint Consultative Machinery in 1973. The starf side did not tayour the scheme on the ground that it would cover only the risk of death during service and would not provide for any additional benefit on retirement. They wanted a scheme which would provide equal benefit both in case of death in service, as well as at the time of retirement. A modified scheme was, therefore, worked out and circulated to the staff side representa\_ tives. In a meeting held on the 18th December, 1975, the staff side accepted the modified scheme worked out by Government. Thus, Sir. the House will see that the scheme that is Loing introduced now has received the acceptance of the staff as well.

The Scheme is compulsory for all Central Government employees, both those who are now in service as well as those who join the service of the Central Government in the future. For purposes of contributions and entitlement to benefits, the employees are divided into three groups depending on their age at the time of entry into the scheme. Each group is covered in a separate stage in the Scheme.

Α large number of Government servants employed in Government factories and railways come within the purview of the Payment of Wages Act. 1936. Deductions from the wages of the employees for contributions to the insurance scheme, the Government is introducing cannot be made unless sub-section (2) of Section 7 is suitably amended. The Bill now before the House seeks to add a new (q) under sub-section 2 to clause permit the necessary deductions being made. Government have decided that the insurance scheme should be introduced with effect from 1st July, 1977. To make this possible, it is Wages act as proposed in the Bill [Shri Ravindra Varma]

without any loss of time. I need not say that it is a very short, simple and non-controversial Bill. I have every hogen that the House would itself be keen to pass the Bill so that the insurance scheme framed by Government to promote the welfare of their employees may go into operation without any difficulty, on the 1st of July itself. With these words, I commend the Bill for the acceptance of the House.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936 be taken into consideration."

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil): Mr. Speaker. Sir, as the hon. Minister has said, it is a very simple and non-controversial piece of legislation.

### 16.38 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

We fully support it because as I said, it is a good piece of legislation. This Bill is being introduced only to give effect to a measure which has already been agreed upon by the Central Government and the Central Government employees after due consulations. At an earlier stage, the employees had objected to the first scheme, as that did not benefit them much. Now the benefit was intended to be given only on death during service. Now. that the modified scheme has been accepted by both the sides, there is nothing much fo be said about this. However, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the Payment of Wages, Act, 1936 and certain definitions given therein, because different interpretations are being given by certain employers especially the public sector undertakings. In that Act. 'wages' have been clearly defined as:'

"wages means all remuneration (whether by way of salary, allowances or otherwise) expressed in terms of money or capable of being so expressed which would, if the terms of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his empolyment or of work done in such employment".

It further says:

JUNE 23, 1977

"But does not include:

(2) the value of any house accommunication." But I found that in some of the deductions made in the wages by the employers and even by public sector employers, they take into account the house rent allowance. Suppose the workers go on a strike and when they cut the wage, they include the house rent allowance also. But here that point has not been made clear and it needs a clarification. The anonally arises where some of the industries provide quarters and some workers stay in the quarters while some may live outside drawing house rent allowance. But in the wage cut they take into account the house rent allowance and people who draw house rent allowance only This is an anomaly are affected. which is happening and some of the employees working in the same factory have to suffer a higher wage cut. I hope the hon. Minister will bring forward a more comprehensive legislation in favour of the wrokers. He has already stated that he is not agreeing with the ligislation of the previous government regarding the bonus law. He said, if I understood him correctly, during the last Labour Ministers' Conference he considered bonus as a deferred wage. If it is so, I would appeal to him to bring forward suitable legislation amending the bonus act.

Another aspect is that there is an attempt going on today—of course, it was there in the past also—that the employers and the industrialists do not hestitate to take recourse to actions which harm the interest of workers. Lock-out and retrenchment. as usual in the past, are continuing. I am not blaming you. It is not a new phenomenon, it is a continuing phenomenon which all the industrialists try to resort to, to defeat any demands of the labour. Whenever the labour puts up a demand or whenwant more wages, now ever they it has become a usual practice with the employers to resort to lock-out which affects the right to work of the worker and affects his wages. I would like to point out what happened recently in Kerala. There was a strike in a factory for three months. A

lock-out was declared by the management when the strike notice was issued. The labour put forward a few demands which were even accepted by the Labour Department. The Petroleum Ministry is suffering as they could not get the machinery from the factory. There was a lockout So, this way the employer easilv locks out and goes away but what is the fate of the workers? The right of the workers to work is thus defeated by closing down the factory. In the same way Mr. Dalmia the closed down his same industrialist Punalur Paper Mill-Mr. Stephen is the President of the wrokers' union there. So, at present there is no law in the country to-day to prevent such logk-outs and try to prosecute the who indulge in such industrialists I admit this has been the things. phenomenon for the last 30 years. So, I would appeal to the hon. Minister to look into this matter. This industrialist. Mr. Dalmia, is given all publicity in all English newspapers saying, 'I was assaulted in the presence of Ministers and Police'. Baseless charges were levelled on the workers and government. This is the way the employers resort to, to defeat the interests of workers. The hon. Minister said that he considered bonus as a deferred wage. In that spirit, I appeal to the Minister not

only to bring forward legislation for workers getting more wages but also to prevent lock-outs by industrialists to defat the demand of workers.

With these words, I support the Bill.

श्रीमती ग्रहिल्या पी॰ रांगनेकर (बम्बई उत्तर-मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, उस का मैं स्वागत करती हूं । बहुत दिनों से इम्पलाइज की यह मांग थी कि ऐसा बिल लाना चाहिए । इसलिए यह जो विल लाया गया है, उस को सपोर्ट करने के लिए मैं खड़ी हुई हूं लेकिन एक बात मुझे यह कहनी है कि यह जो एमेंडमेंट ग्राप पेमेन्ट ग्राफ़ वेजेज एक्ट में लाए हैं, इस के ग्रलावा श्रौर भी ऐमेंडमेंट्स इस एक्ट में करने चाहिए थे । ग्रगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ग्राज जो वर्कर्स को कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं ग्रौर जो पिछले 30 सालों से चालू हैं, वे चालू रहेंगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक वात वताना चाहती हं कि पिछले दो सालों में किस तरीके से वर्कर्स की सेलरीज में से कम्पल्सरी डि-डक्शन्स किये जाते थे। मैं ग्राप को एक मिसाल विश्रामपूर कोलरीज की देना चाहती हूं । वहां के मालिकों ने मजदुरों की सेलरीज में से एक दिन का पगार काटा क्योंकि कवालियों का प्रोग्राम करना था ग्रौर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कुछ वडे लोग उस में म्राने वाले थे। इस तरह से एक साल में पांच दफ़ा वेजे काटे गये। इस के म्रलावा यह भी कहा गया था कि प्रधान मंत्री के रिलीफ़ फंड में मज़-दूरों को पैसा देना चाहिए ग्रौर इस के लिए वर्कर्स का एक दिन का पगार कटना चाहिए । इसलिए मेरा कहना यह है कि यह जो इस तरह का कारोबार चलाया हम्रा है यह बन्द होना चाहिए ।

# ( श्रीमती बहिल्या पी० रागनेकर]

इस के बाद मुझे यह कहना है कि विश्राम-पुर कोलरीज की यूनियन का सेक्रेटरी श्री मोहित राम था । उस ने जब इस तरह के डिडक्शन्स के लिए ग्रपोज किया, तो उस को डिस्मिस कर दिया गया ग्रौर इमर्जेन्सी के बाद भी सेक्रेटरी को काम पर नहीं लिया गया है क्योंकि वह कम्पलसरी वेज कट का विरोध कर रहा था । उस को काम पर लेना चाहिए ग्रौर इस तरह के डिडक्शन्म को रोकने के लिए भी एक एमेंडमेंट इस एक्ट में होना चाहिए ।

ग्रभी एक सदस्य ने कहा था कि महीने भर काम करते हुए वर्कर्स को वेजेज नहीं दी जाती हैं जैसा कि बम्बई में कोहनर मिल्स में होता है । भ्रगर मालिक लोग वेजेज नहीं देते हैं ग्रीर उन के खिलाफ़ कोई कार्यवाही करनी पडती है. तो वह वर्कर को. इडिविजग्रल को. करनी पडनी है ग्रौर उस में सात-सात महीने ग्रीर साल साल भर लग जाते हैं ग्रौर वह कार्यवाही चलती ही रहती है। उस ने जितना काम किया होता है, उस का पगार भी उस को नहीं मिलता है स्रौर इस तरह से उस को बहत परेशानी होती है। बगैर किसी अदालत में जाए हए, वर्कर को पैसा मिलना चाहिए ग्रौर इस की सुविधा एक्ट में होनी चाहिए । इस तरह से बहत से लपहोल्म अभी भी एक्ट में है। मालिक उन को पैसा नहीं देते हैं और उन के ऊपर कार्य-वाही भी नहीं हो सकती है। ग्रभी ग्राप को मालम ही है कि दिल्ली में इन्डियन एक्सप्रेस का सवाल चल रहा है। वहां के मालिक वेज बोर्ड ने जो वर्कर्स को देने के लिए कहा है ग्रीर गवर्नमेंट ने भी इन्टरिम रिलीफ़ की बात कही है, नहीं देते हैं । वे वर्किंग जरनलिस्टस और नान-जरनलिस्ट्स को इन्टरिम रिलीफ़ नहीं देना चाहते हैं । इसलिए लाक-म्राउट कर

दिया है । झगर कोई मालिक पैसा नहीं देता है झौर पैमेन्ट झाक बेजेज एक्ट में उन पर कार्यवाही होती है झौर उन के ऊपर कोई केस चलता है, तो खाली 200 रुपये फाइन हो जाता है । पगार देने के बजाए, मालिक 200 रुपये फाइन देना पसन्द करता है । मेरा सुझाव यह है कि मालिकों पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए कानून में झौर तब्दीलियां होनी चाहिए । झगर तब्दीलियां नहीं होती हैं. तो जो भी फायदा झाप मजदूरों को देना चाहते हैं, वे उस को नहीं पा सकेंगे । जो कुछ मैं ने कहा है, उस को मद्देनजर रखते हुए लेबर मिनिस्टर साहब कानून में झौर एमेंडमेंट्स लाए, यही मेरी उन से विनती है ।

\*SHRI K. RAMAMURTHY: (Dharmapuri): Mr. Deputy Speaker, Sir, in the background of his morning's debate during the Question Hour, I am constrained, to maintain my selfrespect, to speak in Tamil.

I welcome the Payment of Wages (Amendment) Bill. It is not because that the Payment of Wages Act was enacted in 1936, before my birth, that I am making certain statements. but because of lapses which I find in the implementation of the provisions of this Act which have motivated me to participate in this discussion. The parent Act has also been amended several times to meet the needs of the time. With a view to ensuring that the labour is not denied of its legitimate dues, this Act has been amended on more than one occasion. Yet all these amendments have proved futile in the matter of achieving the declared objectives of this Act. I am not guided by any political considerations in raising certain issues. A<sub>s</sub> a trade union leader, I find that the labour can only go to the Court under the provisions of this Act to get its dues which are denied

strict rules and regulations must be formulated under this Act and they must be implemented ruthlessly. Even under the ESIC Act, the managements do not discharge their responsibility of depositing their share. Lakhs and lakhs of rupees are in from their side. arrears The Reof ESIC in gional Commissioner Tamil Nadu is aware of the lapses on the part of one Anglo-French Mill in Pondicherry in the matter of depositing lakhs of rupees under the yet, no action has been ESI Act: taken against this Mill for this lapse, even after these lapses were pointed out by the ESIC Employees Unions. There are many loopholes and deficiencies in the Labour laws of the country and that is why in the implementation the Government seems to be handicapped greatly.

been pointed out by the As has hon, Member, Shri Ravi, there is inordinate delay in the matter of getting the dues from the management. and the labour might pass away in some cases even before the cases are finalised. In Salem district of Tamil Nadu during Emergency the South Salem India Glass Factory, was closed that time and at 4 months of were wages arrears for the workers. So in far it has not been paid to the workers. Neither the State Government nor the Central Government has taken any steps to come to the rescue of the unemployed labour in the matter of getting their arrears of wages and to take measures for their employment. In the capital city, the which is a premier Indian Express, newspaper in the country, is remaining closed. What steps have the Government taken in this matter? Is it because that the owners of Indian Express during the recent Elections came to the help of Janata Party in collecting money that the Janata Government is a silent spectator of the pitiable plight of the workers employed in the Indian Express? The problems of labour cannot be looked

at from political partisanship view. This is the vital problem for the country. Our policy is to have one union for one industry. We from the Indian National Trade Union Congress has also accepted it. In accordance with this Act. now there is no provision for deduction from the salary of the workers for their Union subscription and I want that deduction for Union subscription must find place in the provision of authoris\_ ed deduction in this Payment of Wages Act of 1936.

In the matter of punishment for erring management. the especially when the management denies the wages the work to the Government must not rest ers. content with levving a penalty of just Rs. 200. After doing hard labour for 8 hours the worker gets his wage. If that wage is denied to him, then naturally he is cheated by the management. Such a cheating on the part management should of be taken cognizance of under Section 420 of Cr. P. C. and the management must be sent to the jail. Such a drastic step alone will act as a deterrent for other erring managements.

There are many such labour laws which require amendments. They were enacted under the then existing circumstances. Now the circumstances have changed. I am sure that Minister the hon. Labour into do will look this and For example, Ι the needful. will refer to the Lime-stone and Dolomite Labour Welfare Fund which the welfare of mine is meant for The cement factory worker workers. is also covered under this Fund; the cement workers are eligible to enjoy the benefit from this fund. According to the rules, the workers getting less than Rs. 500 are eligible to avail of the benefits from this fund. I can say with pride that due to the untiring efforts of the then Labour Minister, Raghunatha Reddy, today the Shri cement factory and mines worker is getting more than Rs. 500 a month.

### [Shri K. Ramamurthy]

But according to the rules, he is denied the benefit from this fund that his simple reason for the wages are more than Rs. 500. While we have amended the Payment of Wages Act of 1936 and the ESIC Act to give relief to the workers who are getting more than Rs. 500 per month why the Government so far had not taken any steps to amend the Lime stone and Dolomites Welfare Fund Rules? The Labour Minister should look into such things and take remedial measures to remove the deficiencies and drawbacks in the existing labour welfare laws

After the Emergency, many industries have declared lock-outs. Many lay-offs have also taken place in the country. Many industries are also engaged in retrenchment. The primary objective of Janata Party Government should be to increase the production and for that the labourmanagement relation is the key factory. 'This issue cannot brook anv political bravadoes. It must be looked into with a sympathetic approach towards labour whose major contribution to production cannot be questioned by anyone.

With these words. I welcome this Bill.

श्वी हु कम चन्द कछवाय (उज्जैन) : इस विधेयक का मैं स्वागत करता हं। वा तव में इसको बहुत पहले ग्राना चाहिये था। परन्तु पता नहीं पिछली सरकार इमे लाने में ग्रसमर्थ क्यों रही। ग्रव ो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद ये सही रास्ते पर ग्राए हैं ग्रीर इसके लिए मैं इनको बधाई देता रं।

इस विधेयक में कहा गया है कि यह केन्द्रीय सरकार के ही कर्मचारियों पर लागू होगा । क्या राज्य सरकारों के कर्मचारियों को ग्राप ग्रपना नहीं मानते ? यह सब पर सागू होना चाहिये ऐसी मेरी ग्राप से बिनती है। इस विधेयक का लाभ सभी लोग लें इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता हैं । मैं चाहता हूं कि ग्राप इसकी व्यवस्था करें ।

भाज देश में म्रनेक उद्योगों के मन्दर हड़तालें कराई जा रही हैं । कुछ स्थानों पर ताला-बन्दियां भी हो रही हैं । हो सकता है के कि पछले चुनाव में हारने के बाद जो लोग पिछले 30 सालों से मालिकों की वकालत करते आ रहे थे, म्रब मजदूरों की वकालत करते लगे । इस के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं । बहुत दिनों में म्राप भ्रच्छे रास्ते पर भाये हैं । परन्तु एक बात निश्चित है कि वह इतनी जल्दी मजदूरों की वकालत ठीक से कर सकेंगे इस में सन्देह है क्योंकि म्रभी तक म्रादतें पड़ी हई हैं मालिकों की वकालत करने की ।

## 17.00 hrs.

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कोटा में डी० सी० एम० फैक्टी में पिछले काफी दिनों से तालाबन्दी है, ग्रौर मजदूरों की कुछ मांगों को मालिक ने मंजर नहीं किया जिस की वजह से तालाबन्दी लागू है । काफी लोग हम से मिले हैं लेकिन तालाबन्दी खत्म हो इस स्रोर स्रभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। मेरी मांग है कि स्राप वहां की व्यवस्था को ग्रपने हाथ में ले कर कोटा डी० सी० एम० की तालाबन्दी समाप्त करें ग्रौर मजदूरों को काम दें। इसी तरह से उज्जैन में टैक्सटाइल मिल 15 म्रप्रेल से बन्द पडी है । एक नए मालिक ने उस को खरीदा लेकिन बैंक उस को पैसा नहीं देना चाहता । म्राज वहां तीन हजार लोग बेकार पडे हए हैं। इस सम्बन्ध में श्रम मंत्री कोई कदम उठायेंगे । जब बैंक ने पैसा नहीं दिया तो यह बात चली कि राज्य सरकार इस को म्रपने हाथ में ले । राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा. उस की जांच कमेटी बनायी जिस की रिपोर्ट ग्रभी तक नहीं ग्रायी ग्रौर तीन हजार लोग बेकार पड़े हुए हैं जिस से म्रसन्तोष

306

फैला हमा है। कुछ जगहों पर लाक म्राउट मालिकों। द्वारा किया जाता है, लेकिन कुछ जगह हारे हुए लोगों की तरफ से, सी० पी० माई० की तरफ से सांठ गांठ कर के हडताल करायी जाती है जिस में राजनीतिक उद्देश्य होता है। म्रगर मजदूरों की उचित मांग है तो जरूर उस को उठाना चाहिए, लेकिन जहां केवल राजनीतिक उद्देश्य से, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हडतालें कराई जा रही हैं उस में हमारे सामने बैठने वाले साथी सफल होने वाले नहीं हैं । श्राप तो देश का उत्पादन घटाना चाहते हैं, नई सरकार चले नहीं. इसे संकट में डालना चाहते हैं। परन्तु इस में म्राप को सफलता नहीं मिलेगी ।

बोनस के बारे में ग्रनेकों बार कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिये चाहे वह रेलवे के हों, डाक तार विभाग के हों या ग्रीर किसी विभाग के हों । सरकार के छोटे श्रौर बडे उद्यांग हों या राज्य सरकारों के उद्योग हों, सब जगह बोनस मिलना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। श्रम मंत्री भी इस पर गम्भीरता से विचार करें । पिछली सरकार ने जो बोनस समाप्त कर दिया था उस के बारे में देश के भ्रन्दर चुनाव के समय हम से पूछा जाता था कि जो हमारा बोनस छीन लिया गया था क्या नई जनता सरकार वह बोनस हमें पून: देगी ? हम ने उनको वचन दिया है कि हम बोनस जरूर दिलायेंगे । मैं मंत्री जी से कहंगा कि श्रपना जवाब देते समय वह बोनस का उल्लेख करें। जिस से लोगों को बोनस पूनः वापस मिले ।

ग्रापने ग्रनिवार्यं बचत को काटना रोक दिया जिस का सब ने स्वागत किया । परन्त् यह पैसा उन्हें मिलना चाहिए । 1500 करोड़ रु० एकदम बाजार में क्रायेगा तो चीजों के दाम बढेंगे जिस के लिये कांग्रेस वाले जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं । लेकिन वास्तव में स्थिति भौर है । सारे करे हुए पाप इन के हैं जो जनता पार्टी की सरकार को भोगने पड रहे हैं । इसलिए यह पैसा एकदम न दें. परन्त थोडा थोडा दें ताकि लोगों की आवश्य-कता पूरी हो सके । इसलिए मेरा कहना है कि सी० डी० एस० का पैसा जो जमा है उसे देना प्रारम्भ करें ।

लोग यह अपेक्षाएं रखते हैं कि नई सरकार ग्राई है, हमारी ग्रपेक्षाएं जल्दी पूरी हों, सफलता मिले । परन्तु मैं इस बात को मानता हूं कि यह कभी नहीं होता कि इसी महीने शादी हई हो ग्रौर ग्रगले महीने लडका हो जाये । मंत्री जी को ऐसे पग जरूर उठाने चाहियें जिससे मजदूरों को लगने लग जाये कि सरकार उनके हितों में कुछ काम कर रही है. कुछ कदम उठायें हैं । मजदुर तत्काल लाभ चाहता है, इमलिए उन्हें प्रभावित करने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए ग्रनिवार्य बचत में में तत्काल पैसा देना प्रारम्भ करें । पिछली सरकार ने वचन दिया था कि जून में एक किस्त वापिस देंगे, वह नहीं दिया गया है. उसको ग्राप देखें। बोनस की घोषणा तत्काल करें।

ग्रापने कहा था कि जनता पार्टी की श्रम नीति की घोषणा हम करेंगे, सारे देश के लोग म्राज उस श्रम नीति का इन्तजार कर रहे हैं। मैं चाहंगा कि यह घोषणा शीघ्र होनी चाहिए, इससे जो ट्रेड यूनियनें काम कर रही हैं, वह ठीक से काम कर सकेंगी ।

मजदूरों के बहुत से केस विलम्ब में चलते रहते हैं, उनका निर्णय नहीं होता । इन्दौर का जो टैक्सटाइल का मिल हैं वहां 3 हजार कर्मचारी बेकार हुए, उसके मिल मालिक को कोई सजा नहीं दी गई । उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया । वहां का लेबर ग्रफसर ग्रौर लेबर कमिश्नर उनके फेवर में रहता है, मिल मालिक की तरफ उसका झुकाव होता है । इसलिए निवेदन है कि जो

## [श्री हुकम चन्द कछवाय]

वहां बेकार हो रहे हैं, उन मजदूरों की तरफ ध्यान दें झौर मिल-मालिक के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ करें ।

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): Mr. Speaker, Sir J stand to support this timely amendment brought forward by the hon. Minister. Of course, as he has stated, he taken the consensus of the employees also ' regarding this amendment. Sir. this Insurance Scheme is beneficial to the employees of the Central Government. Why not it he extended to the employees as a whole so that this Act can cover the whole employees? But my anxiety is though this act originated in 1936, if you go through the history of this Legislation, you will find that every year the amendments are being brought out, of course, it is because of various developments that are taking place-vet this act has so many loopholes. ſa plug these loopoles. I would request the Hon'ble Minister to have a comprehensive view of the legislation. instead of bringing forward amend ments off and on. This would be in the best interests of the workers. Now, a major question which affects our State is: with whatever good intentions we bring forward this legislation. the unfortunate position is regarding the implementation of the provisions of this legislation and the machinery connected with it. If you go through the experiences of the trade union movements, especially in an unorganised industry, you will find that these particular provision of this Act is not at all adequate. Even the machinery to go through the various provisions of this Act is not at all adequate. So, I want to impress upon the hon. Minister that whatever legislation, though with good intentions, is being brought. unless remedial measures are taken and adequate provisions are incorporated in the legislation in order to implement the same, it will of no use to workers.

I appreciate the anxiety of the hon. Minister: I appraciate the intention of the hon. Minister in bringing forward this amendment to protect the interest of the workers, as was stated by him. I am surprised that he is not so much anxious the bonus amendment Ell. I am saying this bacause it is going to be a major issue in two or three states: the bonus period in Kerala and Tamilnadu also is coming in the next month and it is going to create problems for the government. It will be a difficult situation which will arise out of this issue in the state of Kerala. The Government of Kerala has already expressed its concern in this matter. I am surprised that the hon. Minister has not expressed his anxiety over this matter because this is a very vital issue.

I now come to the question of. implementation, 'Take the example of closure and lockouts. The mandavs lost in 1975-76 and 1976-77 due to lockouts are more than mandays lost due to strikes. Who is responsible for this? The workers should not be blamed or taken to task for this. Even now a notorious monopolist industrialist like Goenka has closed down his establishment and the workers are on the street. There is some protection in the provisions of the Industrial Disputes Act; yet so many closures are going on and lock outs are going on. Are they in conformity with the provisions of law? Laws passed with good intentions are not enough; they have to be implemented properly and people who violate the law, however big they may be, should be brought to book. Laws are there: they have been there for many years; unless they are properly implemented the laws are not going to do good to the workers. So, I request the hon. Minister to pay attention to this; otherwise the unrest among the workers will forward this amendment. I may be appearing to be repetitive; yet I the request him to bring forward the bonus amendment as declared in

janata party manifesto so that there may be industrial peace in the country.

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रम मंत्री जो एमेंडिंग बिल लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं ग्रौर इस के लिए उन्हें बधाई देता हूं। यह कानून 1936 में बनाया गया था ग्रौर इस में बहुत संशोधन किये गये हैं। मेरे जन्म से पहले यह कानून बनाया गया था ग्रौर यह ग्रभी भी चल रहा है, जब कि हम लोग ट्रेड यूनियन की गतिविधियों में भाग लेते हैं ।

श्रम मंत्री से मेरी पहली ग्रापील यह है कि हमारे सभी श्रम कानून बहुत पुराने हो गये हैं । ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में, इंडस्ट्रियल डिसपूट्स एक्ट 1948 में ग्रौर पेमेंट ग्राफ वेजिज एक्ट 1936 में बनाया गया था । श्रम मंत्री को यह प्रयास करना चाहिए कि इन कानूनों में पूरी तरह सुधार कर के उन के स्थान पर नये कानून लाये जायें।

यह जो संशोधन लाया गया है, यह केवल केन्द्रीय के कर्म-सरकार चारियों के लिए लाया गया है । क्या राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं और जो निजी उद्योगों में काम करते हैं उन के लिए यह नहीं लागू किया जा सकता? हम इस ग्रामेंडमेंट का समर्थन करते हैं ग्रौर हम ने बराबर यह कहा है, पहले दिन मे जब में हम प्रतिपक्ष में बैठे तब मे हम ने यह कहा है कि मजदूरों की भलाई के लिए, गरीब जनता की भलाई के लिए ग्राप जो कुछ करेंगे उस में हम ग्राप का समर्थन करेंगे स्रौर गरीब जनता के खिलाफ जो कूछ करेंगे उस का विरोध करेंगे। इसलिए म्राप जब मी डी एस चालु रखने का विधेयक लाए थे तो हम ने उस का विरोध किया था, कारपोरेट सेक्टर को कंसेशन दिया बजट में तो हम ने उसका

विरोध किया। बोनस का एक्ट लाकर 8.33 प्रतिशत बोनस मजदूरों को देंगे तो भ्रवश्य हम उसका समर्थन करेंगे ग्रौर हम ग्राप को इसी तरह बधाई देंगे। मैं यह कहना चाहता हं कि यह 8.33 प्रतिशत बोनस कांग्रेस सरकार ने ही चाल किया था ग्रौर में यह मानने के लिए तैयार हं कि म्रापातकालीन स्थिति जब लागू थी तो मजदूरों पर काफी जुल्म हुए । मैं बैरकपूर क्षेत्र से चुन कर ग्राया हूं। वहां 6 जूट मिलें ग्रभी तक बन्द हैं ग्रीर तीस हजार मजदूरों को ग्रभी तक तलब नहीं मिल पा रही है। यह मेमेंट आफ वेजेज ऐक्ट काम में नहीं ग्रा रहा है। मैंने मोहन धारिया जी को पांच पत्न लिखे लेकिन ग्रभी तक मिलों को खोलनेका कोई इंतजाम नहीं किया गया। मोहन धारिया जी ने एनाउंस किया था कि दो जट मिलों को वे ग्रपने हाथ में ले रहेहैं। लेकिन वह मिलें ग्रभी तक खलीं नहीं ग्रौर मजदूरों को तनख्वाह मिलनी बस्द हैं।

जनता सरकार ग्राने के बस्द सारे देश में लाक **म्राउट, ले म्राफ, क्लोजर** म्रौर रिटैंचमेंट बढ गया। मैं नहीं जानता कि जो मालिक हैं वे जनता सरकार को ग्रपना बहत दोस्त समझते हैं इसलिए नये तौर पर उन्होंने में चीजें चालू की हैं या कोई ग्रौर बात है लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि रामनाथ गोयनका जो जनता सरकार के बहुत बड़े समर्थक हैं उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लाक ग्राउट कर दिया है। यही नहीं ग्राज सारे मुल्क के ग्रन्दर मजदूर क्षेत्र में एक नयी ग्रंशांति पैदा हो रही है ग्रौर उस को दूर करते के लिए ग्रभी तक केन्द्रीय सरकार ने हाथ नहीं उठाया। केन्द्रीय सरकार ने ग्रभी तक उस में इंटरवीन नहीं किया । मैं श्रम मंत्री में कहना चाहता हूं कि यह समय है जब सब लोग म्राप को सहयोग

## [ श्री सौगत राय ]

देने के लिए तैयार हैं, इंडस्ट्रियल पीस के लिए ग्राप की मदद करने को तैयार हैं। तो ग्राप सब लोगों से मिल कर किस तरह से मजदूर क्षेत्र में शांति लायी जा जाए उसके लिए कोशिंग कीजिए।

जब एमर्जेंसी लागु थी, मैं मानता हं कि उस समय मजदूरों के खिलाफ बहत कदम उठाए गए थे । मजदूर हमारे खिलाफ थे, इसलिए हम हार गए स्रौर म्राप लोग जीत कर म्राए । लेकिन एमर्जेंसी में मजदूरों की भलाई के लिए भी कई कानून लागू किए गए थे। इंडस्ट्रियल डिस्प्युट्स प्रमेंडमेंट ऐक्ट लाग् हग्रा था। रिटेंचमेंट, क्लोजर ग्रौर ले ग्राफ के ऊपर एक नया कानुन चाल किया गया था कि बिना सरकार की अनुमति के कोई मालिक ले ग्राफ या रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकता है। यह हमारी सरकार ने किया था। मैं रवीन्द्र वर्माजी में कहना चाहता हं कि ब्राप क्यों नहीं ऐमा कानून लागू करते कि लाक ग्राउट करने से पहले मालिक को सरकार से परमिशन लेनी पडेगी? मालिक को जो यह यूनिलेटरल राइट है जिस को मिसयुज कर के मजदूरों पर वे दबाव डालते हैं यह राइट उन के हाथ मे लिया जाय इस के लिए कानून ग्राप क्यों नहीं लाते ?

यह बिल एक संगठित क्षेत्र के श्रीमकों के लिए हैं खासकर केन्द्रीय मरकार के कर्मचारियों के लिए ग्राप इसे लाए है। लेकिन ग्रमंगठित क्षेत्र में पेमेंट ग्राफ वेजेज ऐक्ट लागू नहीं है। जो कृषि मजदूर है उस के लिए कोई कानून चाल नहीं किया गया है। हमारी सरकार जब थे। तो हम ने मिनिमम वेजेज ऐग्रीकल्चरल लेवर के लिए चालू किया था। लेकिन उस का इम्म्लीमेंटेक्षन हर स्टेट में नहीं हो रहा है। इस समय जब पेमेंट ग्राफ वेजेजे ऐक्ट का भमेंडमेंट कर रहे हैं तो मैं श्रम मंत्री से कहूंगा कि एक दो छोटा भ्रमेंडमेंट न ला कर पूरे मजदूर क्षेत में जो हलचल ग्रीर ग्रशांति मची हुई है उस को दूर करने के लिए उपाय सोंचें ग्रीर उस के लिए सदन के दूसरे सदस्यों के साथ बैठ कर विचार करें जिसमें एक नया कानून ऐसा लाया जा सके जिससे मालिकों को मजदूरों पर दवाव डालने का मौका न मिले ग्रीर मजदूरों को ए नयी दिणा मिले जि से मजदूर ग्रागे बढ़ सकें। इन शब्दों के साथ में इस विल का समर्थन करता हूं।

भी युवराज (कटिहार): उपाध्यक्ष जो, श्रम मंत्री जी जो बिल लाये हैं मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं उन का ध्यान बिहार के श्वमिकों की स्थिति के सम्बन्ध में भी ग्राकृष्ट करना चाहूंगा।

ग्रार० वी० एच० एम० जूट मिल्स प्रा० लि०, कटिहार लगभग डेढ़ वर्ष से बन्द है। उस मिल की ग्राथिक स्थिति की खराबी भौर प्रबंधकीय कुव्यवस्थाग्रों के चलते बन्द हो जाने के कारण लगभग 3500 मजदूर डेढ़ वर्ष से परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं श्रौर नतीजा यह हो गया है कि कटिहार में, जो नार्दन-पार्ट-ग्राफ-इडिया का गेट-वे कहा जा सकता है, मजदूरो की हालत काफ़ी दयनीय हो गयी है, ला एण्ड ग्रार्डर की समस्या भी वहां पैंदा हो गई है।

यह मिल 14-4-1976 को बन्द हुई, फिर राज्य सरकार के दबाव के चलते यह कारखाना 18-10-1976 को पुनः चालू हुम्रा, लेकिन 24-12-1976 को पुनः बन्द हो गया । यह बात भी उल्लेखनीय है कि यह कारखाना बिहार के म्राधिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र कटिहार में स्थित है । प्रबन्धकों के पाामजदूरों का बेंतन का लाखों

(Amdt.) Bitl

रुपया बक़ाया है, जिस का भगतान नहीं हो पाया है । राज्य सरकार के श्रम विभाग ने म्राक्तूबर, 1976 तक के लिए, 70,17,881 रुपये के बकाया के भगतान की वसली के लिए मकदमा दर्ज किया, लेकिन वह भी खटाई में पडा हन्ना है। वेतन के न्नतिरिक्त म्रनिवार्य योजना के म्रधीन 66,24,000 रुपये, कर्मचारी भविष्य निधि ग्रंगदान के रूप में मार्च, 1976 तक का 34, 46 लाख रुपये एवं कर्मचारी राज्य बीमा ग्रंशदान के 26.27.209 रुपत्रे का भगतान नहीं हो पाया है। एक त्रोर तो मिल मालिक के पास मजदरों के लाखों रुपये बकाया पडे हुए हैं ग्रीर दूसरी ग्रोर मिल में बन्दी हो जाने के कारण हजारों मजदूर ग्राज भखमरी के कगार पर खडे हैं।

वित्तीय मंस्थानों से ग्राथिक सहायता दिला कर मिल को चालू करने का प्रयास भी विफल रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस मिल-मालिक ने ग्रापना लेखा भी तैयार न ीं किया है, उन्होंने अपनी बैलेंस-शींट भी दाखिल नहीं की है, लेकिन उस समय की सरकार की ग्रोर से उस के खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की गई। राज्य सरकार ने सेन्ट्रल बैंक तथा स्टेट बैंक से भी वित्तीय सहायता देने का ग्रनुरोध किया था, परन्तु मैनेजमेंट की प्रबन्ध कूव्यवस्था के चलते कोई भी बैंक उस को रुपया देगा, इसके मायनें यह होंगे कि बैंक का रुपया डब जागगा। मिल को मौड़नाईज करने का काम, उस के **म्रा**धुनिकीकरण का काम ग्रौर मजदूरों का बकाया रुपया, जिस का भुगतान नहीं किया

गया, इन बातों की म्रोर कोई घ्यान नहीं दिया गया ।

1971 में इस मिल की स्थिति के उष्टिययन के लिए इण्डस्ट्रीयल डैवेलपमेंन्ट रेगुलेशन एक्ट की धारा 14 के ग्रधीन ग्रध्ययन करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस के विरुद्ध मिल-मालिकों ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर छानबीन के लिए गठित होने वाली कमेटी को ग्रप्रभावी बना दिया । वित्तीय दिक्कतों के चलते राज्य सरकार ने मिल के प्रबन्ध को ग्रपने हाथ में

मैं ग्राप का ध्यान इंडस्ट्रीयल डवेलपमेन्ट कमिण्नर---श्री एन० के० भारदाज के पत्न की ग्रोर, जो उन्होंने सैंक्रेटरी, मिनिस्ट्री ग्राफ़ इण्डस्ट्रीज ग्रौर सिविल सप्लाईज को लिखा था, दिलाना चाहता हूं। उन्होंने ग्रपने पत्न सं० 7683 दिनांक 29 मार्च, 1976 में लिखा था --

"The Commissioner, Kosi Division has informed that due to closure of the factory about 3,000 workers have been affected. 'The law and order situation at Katihar has become tense and stoppage of production in the factory has created serious administrative problems. As a relief measure, the Regional Provident Fund Commissioner has sanctioned a sum of Rs. 30 only to each worker in order to enable him to go to his village. The Industries Minister of Bihar has requested Shri T.A. Pai, Minister, Department of Industry and

314

# [श्री पुराज]

Civil Supplies, Shri A.P. Sharma and Shri Pranab Mukherice, State Manisters of the Central Government request the Central Bank to help the company by giving financial assistance. High dues on account of sales tax and ESR Scheme, Provident Fund and gratuity are pending for clearance by this company and Labour Department of the State Government has filed cases for recovery of some of the dues. In this background it is considered absolutely necessary to take suitable measures immediately for running of this mill in order to prevent about 3000 workers from going out of employment and the loss of production and ultimate loss of revenue to the Central as well as to the State Government."

इस चिटठी के इस ग्रंग को उढ़त करते हए, मैं यह निवेदन करना चाहंगा कि कटिार के ग्रार० वी० एच० एम० जुट मिल्स प्रा० गि० को टेक-स्रोवर करने के लिए एक रिप्रेजेन्टेशन श्री मोहन धारिया को दिया गया था ग्रौर मझे यह ग्राशा थो कि भारत सरकार इस की टेक-ग्रोवर करेगी **ऋौर या तो स्वयं इस को चलाएगी** या किसी पार्टी को लीज पर दे कर इस की व्यवस्था करेगी। डेढ वर्ष बीत नगे हैं लेकिन ग्रभी तक कोई व्यास्था नहीं की गई हैं। इस में केवल तीन, चार हजार मजदूरों के भीख मांगने का ही सवाल नहीं है बल्कि उन पर जो ग्राश्रित हैं, उन का भी सवाल है। ऐसे हजारों लोग भूखे मर रहे हैं। बिहार में सीन जूट इंडस्ट्रीज़ हैं ग्रौर उन में मेसर्स

मार० बी० एच० एम० जुट मिल्स सब से बड़ी है जो कि लाखों रुपया सरकार को एक्साइज ड्युटी के रूप में देती थी। इसलिए मैं लेबर मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ग्रोर मार्कीवत चाहंगा ग्रौर करना यह कहना चाहंगा कि झाप ने झपने मेनीफेस्टो में यह वायदा किया है कि हम बेरोजगारों को काम देंगे लेकिन जिनकी रोजी थी ग्रौर जो पचासों वर्ष से काम कर रहे थे, वे मजदूर भाज भुखे मर रहे हैं ग्रौर भीख मांगते फिरते हैं। उन के बच्चे ग्राज दर दर की ठोकर खा रहे हैं । इसलिए सरकार को इस वारे में कुछ सोचना चाहिए ग्रौर कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिस से मिल चालु हो सके । म्राज वह चालू नहीं है । सरकार उस को इंडस्टीज डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन एक्ट की धारा 18 एए के अधीन टेक ग्रोवर करे ग्रौर टेक भ्रोवर करने के बाद वह उस को चला सकती है ।

यह बात भी ठीक है कि बंगाल के कई जूट मिल्स और कई टैक्सटाइल मिल्स जोकि सिक मिल कहे जा सकते हैं, ग्राज बन्द हैं। मैं चाहता हूं कि उन मिलों को जरूर चलाया जाए । बिहार में एकमात इंडस्ट्री जो है वह जूट इंडस्ट्री है और वह बिहार की तीन करोड़ ग्राबादी के बीच है । जूट वहां की नकद फसल है और जब वहां मिलों की हालत दयनीय है तो वहां के जो जूट ग्रोग्रर्स हैं भौर फार्मर्स हैं, थे स्फेक्टेड हो गए हैं। वे लोग कहां जायेंगे इसलिए इस का ग्रसर न केवल मजदूरों पर ही पड़ा है बल्कि उत्पादकों पर भी पड़ा है । मैं श्रम मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि , वहां के मृजदूरों की बड़ी दयनीय स्थिति है भौर बहुत ही विस्फोटक स्थिति हैं । इसलिए मंत्री मंडल में बैठ कर ग्राप इस मसले पर विचार करें भौर मिलों को शीघ्र टेक-ग्रोवर करें ।

भी हकमदेव नारायण यादव (मधवनी) । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल परज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए इसलिए खड़ा हुन्ना हूं कि मजदूरों के सवाल पर जब कभी लोक सभा में कोई विधेयक वगैरह श्राते हैं तो जिस तरह से देश में सारी पूंजी निर्माण के कामों में जहरों में ही लगाई जाती है, उसी प्रकार से कारखाने के जो मजदूर शहरों में काम करते हैं, उन्हीं पर सब की दुष्टि रहती है। मेरा इस से कोई विरोध नहीं है लेकिन खेती में जो काम करने जाले हैं ग्रौर जिन की संख्या सैंकडे में 85 हैं, वे गांवों में रहते हैं, उन पर भी कुछ ध्यान जाना चाहिए । प्राथमिकता के आधार पर इन सवालों को सब से प्रथम लिया जाना चाहिए। क्योंकि उनसे लोगों के पेट का सवाल जुड़ा हम्रा है। कारखानों में ग्राराम की सामग्रियां बनती हैं, बिलासिता की सामग्रियां बनती हैं। लेकिन जिससे पेट का ताल्लुक है वहां के लोगों की हालत दयनीय है। विपक्ष के लोग मजदूरों के सवाल पर म्राज बहुत बात करते हैं, विधेयक लाते हैं तो उसका समर्थन करते हैं । भ्रारे ग्रब पछताये होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत । ग्रब तो ग्राप पछता रहे हैं लेकिन तीस सालों में ग्राप कुछ नहीं कर सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हं कि म्रसली सवाल दुष्टि का है। यह लोक सभा है तो इसमें लोक के प्रति दुष्टि जानी चाहिए। गांव में खेती में लगे हए जो मजदूर है उन का सवाल है। हम उन मजदूरों की रोजी बढ़ा देते हैं लेकिन उनके लिए बोनस का सवाल कहां है ? यहां न्युनतम मजदूरी विधेयक बना दिया गया, खेत में काम करने वाले मजदूर के लिए, लेकिन उनके लिए बोनस का सवाल कहां है। उनके लिए दूसरी चीजें भविष्य जमा निधि वगैरह कुछ नहीं हैं। कारखाने वालों को य सारी मुविधायें दी हैं। ये सूविधाएं खेतिहर मजदूरों के लिए क्यों नहीं दी जातीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हं कि जो गांव में रहने वाले खेति र मजदूर हैं, उन खेतिहर जजदरों में ग्रधिकतर पिछड़े वर्ग के होते हैं, हरिजन जाति के होते हैं। वे सामाजिक दष्टिकोण से शोषित हैं, पीड़ित हैं और उनकी समस्याओं का इस लोक सभा में स्रौर सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है । इसलिए उनकी तरफ़ दृष्टि नहीं जाती । उनके लिए न्युनतम मजदूरी का कानून बना दिया जाता है लेकिन किसानों की हालत खराब है, किसान उनको मजदूरी देने की स्थिति में नहीं है क्योकि उनके खेत में पानी नहीं है, फसल नहीं होती है। बह मजदूर को पूरी मज़दूरी बहीं दे पाता । इसलिए मैं यह सोचता हूं कि जब सरकार ब्रध्यापक, शिक्षक झौर पढ़े लिखे वर्ग के लिए न्यूनतम

# [श्री डुकमदें ः तत्रजण आत्व]

मजदूरी तय करती है ग्रौर जब संस्थाएं उतनी मद्जरी नहीं दे पाती तो बाकी जो बचता है उसको सरकार परा करती है । जब ५ढें लिखे लोगों के लिए, विश्वविद्यालयों में काम करने वाले ग्रध्यापकों के लिए सरकार बकाया की राशि पूरा करती है तो खेतिहर मजदरों के लिए जिनको किसान पूरी मजदूरी नहीं देपाता, उनके लिए सरकार परा क्यों नहीं उनके लिए भी सरकारी खजाने करती । से दिया जाए । जितना किसान दे दे उतना ठीक है, बाकी सरकारी खजाने से उनको दिया जाए । जब दूसरे रोजगार में लगे लोगों को दिया जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों को दिया जाता है तो सरकारी खजाने से खेतिहर मजदूरों को भी दिया जाए ।

मैं कहना हूं कि केवल मजदूर के बोन क का ही मवाल नहीं है । क्या हमारी दृष्टि मजदूर के वोनस नक ही मीमित रहे ? मालि क कारखाने में ताला बन्दी कर देता है. और सब कुछ कर देता है । क्या मजदूर की कारखाने में हिस्सेदारी होगी या नहीं ? क्या मजदूर रहेगा, मालिक मालिक बना रहेगा ? ग्रगर मजदूर को ारखाने में हिस्सेदार बनाया जाएगा तो कारखाने में जयादा उत्पादन होगा । जब तक कारखाने में मालिक और मजदूर का रिण्ता रहेगा तब तक बो स के लिए भी लड़ाई होगी । लेकिन जब यह खत्म हो जाएगा तो मारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा ।

तीसरी बात उपाध्यक्ष महोदय यह है कि जनता सरकार श्रीर जनता राज में कहा जाता है कि बोनस बढ़ा दिया गया। लेकिन मैं कहता हूं कि कारखानों में जो सबसे नीचे काम करने वाले है श्रीर जो सबसे बड़ा मेनेजर होते हैं, बड़े बड़े श्रफसर होते हैं उनकी मुविधान्नों में बड़ा फर्क हो 1 है।

इन माई० ए० एस० मफसरों या कौन-कौन अफसर होते है, मैं नहीं जानता इनकी शान-शौकत पर, ठाट-बाट पर, ऐशो-ग्राराम पर कारखाने का ग्राधा पैसा खर्च-हो जाता है। बाकी जो मजदूर रहते हैं या दूसरे काम करने वाले लोग है उन पर बहत कम पैसा खर्च होता है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हं कि क्या इस स्थिति को सधारने का काम भी होगा या नहीं? हमने जो घोषणापत में कहा है कि हम न्युनतम और . ग्रधिकतम मजदूरी की सीमा एक ग्रौर दस रखेंगेतों मैं श्रम मंत्री जी से जानना चाहंगा कि स्राप यह श्रमिकों के क्षेत्र में अब लागू कर रहे हैं ? यह एक ग्रौर दस की सीमा लाग करनी जरूरी हैं श्रौर इसे श्राप कब तक लाग करने जा रहे हैं ? जिन भ्रफ-मरों को बहुत ग्रधिक मिलता हैं उनका वेतन दस के अनुपान में लाया जाए और इससे जो धन बचे उसे मजदूरों के विकास पर खर्च किया जाए। जब हम यह दष्टि बनायेंगे तभी हम मजदूरों के लिए कुछ कर पायेंगे। जा पैसा होता है वह बड़े बड़े लोग जो होते हैं, मालिक वगैरह होते हैं उनके आरम ग्रौर विलासिता वगैरह पर खर्च हो जाता है । ग्रसली जो मजदूर हैं वह श्राशा करता है कि उसके रहने के लिए उसको मकान मिले लेकिन वह म्राणा उसकी पूरी नहीं होती है। मजदूर कालोनी में उसके वास्ते मकान बनाया जाता है तो। एक छोटा सा मकान बना कर दे दिया जाता है, जिसमें उसके बच्चे रहते हैं, वीवी रहती है, बीमार लोग रहते हैं। खाना बनाने का उसमें कोई बन्दोबस्त नहीं होता है। जैसे किसी जानवर को घर में बन्द करके रख दिया जाता है उसी तरह से मजदूरों को इन मकानों में रखा जाता है। दस, दस झौर बारह बारह घंटे कारखाने में काम करके जब वह वापिस घर म्राता है तो उसके नहाने के लिए पानी नहीं होता है, पीने के पानी की वहां कोई व्यवस्था नहीं होती है। मैं बिहार विधान

सभाका सदस्य था। एक कमेटी में मैं धनबाद की तरफ गया था। मैंने देखा कि नाली में जो गन्दा पानी बहा चला जा रहा था, उस नाली के पानी से मजदूर नह। रहे थे। देश के लिए इतना उत्पादन करने वाला मजदूर जो है उसकी यह दशा हो इस पर रोना ग्राता है। नाली के पानी में वे नहा रहे थे। वह पानी वह था जो एयरकंडीशनर जिन के मकान में लगे हए थे वहां से निकल कर ग्रा रहा था, जो बड़े ग्रफसरों की टट्टी पाखाने का पानी था, उस पानी से वे नहा रहे थे। जो मेहनत करता है उसके लिए स्वच्छ पानी का पीने के लिए ग्रौर नहाने के लिए प्रबन्ध तो ग्रापको करना चाहिए । उनके स्वास्थ्य का तो ग्रापको करना चाहिए । रहने के लियें ख्याल उनके वास्त भाराम दायक मकान तो होने चाहिए ताकि मेहनत करने के बाद जब वह थका हुम्रा घर जाए तो म्राराम से सो तो सके, श्रद्ध पानी पी सके, ग्रपने बच्चों के साथ थोडा विश्राम कर सके झौर उसको कुछ सुविधा हो। ग्रमली सवाल दुष्टि का है। कैवल बोनस बढ़ाने से या कुछ सुविधा दे देने से काम नहीं चलेगा । ग्रसली सवाल दुष्टि का है। जब तक सरकार के पास दिशा नहीं होगी, दुष्टि नहीं होगी तब तक कोई गतिशीलता नहीं ग्रा सकती है। दिशाहीन, दष्टिहीन बन कर चला जाएगा तो कोई विकास नहीं हो सकेगा। पिछली सरकार दिशाहीन थी, दुष्टिहीन थी इसलिए गतिहीन भी थी। उसमें कोई गति नहीं थी। जैसे फौज में होता है मार्क्स टाइम उसी तरह से कांग्रेस सरकार की हालत थी। मार्क्स टाइम में पता तो ऐसे चलता है कि बहत चहलपहल है, आगे बढ़ा जा रहा है गतिशीलता है लेकिन न ग्रागे बढ़ा जाता है भौर नही पीछे हटा जाता है। वहीं के वहीं वे खड़े रहते हैं। कांग्रेस सरकार ने भी जो कदम उठा रे उनसे न देश झागे गया ग्रीर न ही पीछे गया। जहांका तहां रहा। जनता सरकार में दुष्टि है, दिशा

है ग्रौर दिशा ग्रौर दृष्टि को ग्रागे रख कर उसको चाहिये कि वह ऐसे विघेयक लाए, इस तरह के सुधार करे ताकि मजदूरों में ग्रात्मविश्वास पैदा हो ग्रौर मजदूरों को यह ग्राभास हो कि जनता राज में मजदूरों को ग्रसली मालिक माना जाएगा। यह जो नाली के पानी से वे सिंदरी, धनबाद ग्रादि में नहाते हैं उस गन्दे पानी के बजाय उनके वास्ते शुद्ध पानी नहाने के लिए सुलम हो इसकी व्यवस्था ग्रापको करनी चाहिए। सभी जगह ग्रापको मजदूरों के सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए ग्रौर काम करने चाहियें।

कांग्रेस सरकार ने बोनस काट दिया। हमारें मित्र खडे होते हैं ग्रौर कहते हैं कि उस समय इसको काट दिया गया जब एमर-जेंसी थी। तब हम लोग तो जेल में थे मौर ग्राप लोग वाहर थे । संयोग की यह बात थी । उन्होंने गलत काम किया । तब डर था, भय था । वह डर ग्रौर भय का राज्य समाप्त हमा । ग्राजादी के साथ हम ग्रब ग्रपने विचार व्यक्त कर पा रहे हैं । चाहे रेल विभाग वाला कर्मचारी हो या किसी ग्रौर विभाग में काम करने वाला हो जहां कहीं भी वह हो माज सविसिस में जो वर्णाश्रम व्यवस्था चाल हो गई हैं इसको भी समाप्त करना चाहिये । हिन्दूस्तान में वर्णाश्रम में चार वर्ण थे बाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रौर शद्र । जो श्रम नीति है उसमें भी इसी वर्णाश्रम की झलक दिखाई देती है। इस में भी भापने क्लास 1, क्लास 2. क्लास 3 ग्रीर क्लास 4 के कर्म-चारी रखे हए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ग्रीर शद्र इस में भी हैं क्लास वन में ब्राह्मण हैं ग्रौर क्लास वन को ऊंचा माना जाता है। क्लास दो है वह उसी तरह से जिस तरह से वर्णाश्रम में क्षत्रिय हैं ग्रौर इस क्लास को क्लास वन से नीचे माना जाता है । उसी तरह से जिस तरह से वर्णाश्रम में वैभ्य को भीर नीचे माना जाता है उसी तरह से

[श्री हुकभदेव नारायण यादव] क्लास तीन को नीचे माना जाता है। इसी तरह से झढ़ को यहां चौथी क्लास में दलित शोषित माना जाता है। वर्णाश्रम की व्यवस्ता इस श्रम विभाग में और उसकी नीतियों में भी

. लाग है । हजारों वर्षों से चर्ला आं रही वर्णाश्रम व्यवस्था के ग्रन्तर्गत जो श्रम नीति चली था रही है इसमें ग्रापको परिवर्तन लाना चाहिये। नई समाज व्यवस्था ग्रगर ग्राप कायम करना चाहते है, तो जो शोषित हैं, जो दलित हैं उनको ग्रापको सम्मान देना होगा, उनको इज्जत देनी होगी ग्रौर उनके किए विशेष ग्रवसर ग्रौर सुविधायें प्रदान करनी होंगी । जनता पार्टी ने मपने चनाव घोषणा पत्न में कहा है कि हम दलितों को विशेष ग्रवसर देंगे। तो श्रम के क्षेत्र में जो नीचे हैं. चतुर्थ श्रेणी के मजदूर, उनको विशेष ग्रवसर दिया जाने झौर तमाम सुविधायें दी जायें । माननीय श्रम मंत्री जी इन बातों पर ध्यान देंगे ग्रीर चार श्रेणियों में जो मजदूरों को बांट रखा है, वर्णव्यवस्था की तरह, इस को बन्द किया जारे । हम लोग नारा लगाते थे कि ऊंच जाति की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम । छोटे जात की क्या पहचान, मेहनत करे, पावे ग्रपमान । इस कूप्रया को समाप्त होना चाहिए । मेहनत करने वाला समाज में सब से ग्रधिक दबा हमा रहा है । मजदूरों के प्रति जो म्रव्यव-हारिक दृटि रखी जाती है उस को बन्द करना **चाहिए ग्रौर** उन का उत्थान होना चाहिए । तभी देश का निर्माण हो सकेगा। बोनस आदि देने से कुछ नहीं बनेगा क्यों कि यह तो चौकलेट, लैमनजूस ग्रादि की तरह से बहलाने वाली बात है। ग्रगर ग्रसली माने में मजदूर का भला चाहते हैं तो मजदूरों को कारखाने का मालिक बनाने में सहायता कीजि रे तभी देश का विकास होगा ।

चौघरी बलबीर सिंह (होशियारपुर) : मान्यवर, मैं श्रम मंत्री जी को इस बिल के

लाने पर मुबारकबाद देता हं, झौर झाप ने जो इन्क्योरेंस का हिस्सा काटने के लिए बिल रखा है तो इस में सरकार ग्रपना भी कुछ हिस्सा दे, जैसे प्रावीडेंट फंड में देती है। जो लेबर कानून बने हुए है वह बहुत कम्प्लीकेटेड है। एक तरफ मजदूर है ग्रौर दूसरी तरफ़ मिल मालिक हैया सरकार है भीर उन की बैंक पर वह पैसा है जिस से वह बडे से बडे क्कील को खरीद सकते है ग्रीर वह उन के हक में पेश हो कर कानून की बारीकियों को बता सकते हैं। लेकिन मजदूर के पास ट्रेड युनियन लीडर हैं जो उस के केस की फ़ाइट करता हैं। कानून में जो लुपहोल्स हैं उन को पढ़कर जो सह-लियत मजदूर को मिलने वाली है वह रुक जाती है । तो कानून आसान बनने चाहियें जिससे जरूरत न हो किसी वकील को खड़ा करने की । जिस के लिए कानून बना है वही ग्रादमी ग्रपने ग्राप ही केस लड़ सके । कानून में इन्ट्रीकेसीज नहीं होनी चाहिए, ग्रीर वर्तमान कानून खत्म करके नये लेबर लाज बनायें ग्रोर वह सब पर लागू हो चाहे खेतीहर मज़दूर हो, चाहे सरकारी या गैर-सरकारी कारखाने में काम करने वाला मजदूर हो । सब के लिए एक ही कानून होना चाहिये ।

एक कांग्रेसी दोस्त ने कहा **ग्र**भी कि यह इमरजेंसी की बरक्त है कि लोक म्राउट बन्द हो गए। मेरा कहना है कि उन्होंने बंगाल की जुट इंडस्ट्री की हालत नहीं देखी । 30 परसेंट से ज्यादा वहां कारखाने बन्द हो गये ग्रौर जो बाकी बचे उस में से ग्राधे लेबर बेकार हो गये । इसी तरह से टेक्सटाइल इंडस्टी के काफ़ी कारखाने बन्द हुये । तब ग्राप की जबान बन्द थी, लेकिन ग्रब मिल खुल गई है इस के लिये आप हमें धन्यवाद दें। कारखाना बन्द हो गया कोई बोल नहीं सका ग्रौर मजदूर अपने घरों को चले गये। मब

बात करते हैं, लेकिन उस वक्त बोल नहीं सके । इस मुल्क में जो इंडस्ट्री खत्म हो गई है उस के लिये कौन जिम्मेदार है ? यह ग्रापकी एमर्जेन्सी की बरकत थीं ग्रौर ग्रापकी जवान बन्द थी । ग्राप हमें मुबारकबाद दें, धन्यवाद दें कि ग्रापको जवान मिल गई ग्रौर ग्राप बोलने लगे । उस समय सारे हिन्दुस्तान में ग्रातंक का राज्य था ग्रौर ग्राप बोल नहीं सकते थे । उस समय मजदूर ग्रपने घरों को चले गये ग्रौर ग्राप उनके बारे में बोल नहीं सके कि उनका क्या हाल है । ग्रब ग्राप लोगों ने बातें बनानी शरु की हैं ।

इस मुल्क में जो इन्डस्ट्री खत्म हो गई हैं, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? प्राप सी॰ पी॰ प्राई॰ के लोग ही इसके लिये जिम्मेदार हैं जो ग्राज यहां वातें कर रहे हैं। उन दिनों सरकार के साथ में थे, पूंछ पकड़कर चलते थे, पल्लू का सहारा लेकर ग्रौर ग्राज यहां ऐक्ट की बात इन्हें नजर ग्राती है। जिस जमाने में टैक्सटाइल इंडस्ट्री खत्म हो रही थी, कारखाने बन्द हो रहे थे, इंडियन एक्सप्रेस बन्द हो रहा था, उस समय इन्हें नजर नहीं ग्राया कि मजदूर बेकार होकर घरों में चले गये हैं। ये ग्राज जनता पार्टी को धन्यवाद दें, कि इन्हें जबान खोलने का मौका मिल रहा है।

SHRI C. K. CHANDRAPPAN: Sir, about lock-out, bonus and all these issues, everything is on the record of the House but he has not cared to see the record of the House.

चौधरी बलबीर सिंह : हमें पता है, श्रापने तो हर बात में उस वक्त सरकार का साथ दिया, जो कत्ल हुए उसमें भी भाप सरकार के साथ थे । श्रापके हाथ खून से रंगे हुए हैं । श्रापके खिलाफ तो फ़तवा मिला है, भापको इस हाउस से बाहर फेंक दिया गया है। भ्राप जो करते रहे हैं उसी का यह नतीजा है। भब तो यह हालत इनकी हो गई है कि म्रगर दूरबीन लेकर देंखें तो कहीं-कहीं हिन्दुस्तान में नजर म्राते हैं।

प्राज जो यह बातें बना रहे हैं, उस वक्त यह हिस्सेदार थे, जो एंटी-फासिस्ट कान्फरेंस शुरु हुई थी उसमें ये शामिल थे। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इन्हें थोड़ी सी च्यूंटी काटी तो इन्हें पता चला कि एमर्जेन्सी भी कुछ होती हैं। पहले संजय साहब ने इनके खिलाफ जो बात कही श्रौर उसकी हिमायत जो उसकी मम्मी से मिल गई तो गले में पल्लू उठाकर, इन्होंने नाक रगड़कर माफी मांगी कि हमने जो कहा था वह हमारी गलती थी, हमें माफ कीजिये। उस ऐलान का नतीजा यह हुग्रा कि इस इलैक्शन में इनका सत्यानाश हो गया।

ग्रब ये यहां मजदूरों की इसलिये हिमायत करते हैं कि ग्रखबारों में इनकी कोई बात छप जाये ताकि जनता में मजदूरों में फिर से इनकी कुछ साख जमे, पर वे लोग जानते हैं कि इन्होंने क्या हिमायत की है । ग्रापका एमर्जेन्सी के दौरान 20 महीनों में जो रोल रहा है, उसे सारी दुनिया जानती है ।

मैं श्रम मंत्री महोदय से कहूंगा कि बोनस के इक्ष्यू पर एल०ग्राई०सी०, स्टेट बैंक ग्रौर दूसरे जितने पब्लिक सैक्टर के लोग हैं, उन्हें बोनस दें ग्रौर प्राइवेट सैक्टर में जो बोनस की कटौती हुई है, उसको भी बहाल करावें जिससे लोगों को बोनस मिल सके।

यह कानून बहुत सिम्पल ग्रौर सादा बने ताकि मजदूर ग्रपना हक ले सकें ।

खेत-मजदूर की बात हमारे दोस्त ने यहां कही है । कानून बना हुग्रा है, फैसला हो जाता है, लेकिन उस फैसले को लागू करने के

## [जौवरी बलबीर सिंह]

सिये कोई मशीनरी नहीं है । यह जो लूप-होल है, यह ठीक नहीं है । एक मजदूर को लोघर कोर्ट से डिग्री मिल जाती है ग्रौर उस डिग्री के खिलाफ हाई कोर्ट में लोग चले जाते हैं । 3, 4 ग्रौर 5, 5 साल तक वहां फैसला नहीं होता ग्रौर उस मजदूर को पैसा नहीं मिलता है । मजदूर पैसे की लड़ाई में बड़े कारखानेदार का मुकाबला नहीं कर सकता है । जब लम्बी लड़ाई शुरु हो जाती है, तो मजदूर थक कर बैठ जाता है ग्रौर कारखानेदार मपने पैसे के जोर से केस को जीत जाता है । मुकाबला करने वाला मजदूर खुद खत्म हो जाता है ।

मैं मंत्री महोदय से फिर कहूंगा कि वह लेबर के बारे में सब कानूनों को ग्रासान ग्रौर सिम्पल बनायें, ताकि मज्जदूर ग्रपने हक के लिए खुद लड़ सकें ग्रौर उन्हें दलालों की जरूरतनहो,जो उनको एक्सप्लायट करते हैं।

THE MINISTER OF PARLIAMEN-TARY AFFAIRS AND LABOUR (SHRI RAVINDRA VARMA): Mr. Deputy-Speaker, Sir. I think my task this evening is rather simple. I am grateful to all the hon. Members who have taken part in this debate and have welcomed the Bill that is under consideration. In fact, if I am to confine myself strictly to the remarks that were made on the Bill, I may not have much to say except to thank the hon. Members who have extended their support to the Bill. I do not want to follow in their footsteps and to roam in the realms in which they have roamed while discussing the Bill under con\_ sideration.

It appears to me that many of the hon. Members felt that this was a curtain-raiser for the debate on the Demands of the Labour Ministry. I have no complaint about the fact that they wanted to avail of this opportunity to draw the attention of the Labour Ministry as well as the House to some of the major issues that have been agitating the minds of the hon. Members here as well as of the workers outside. I welcome the fact that they have utilised this opportunity to refer to these major problems of industrial relations, the loopholes that exist, the need to have a comprehensive review of the legislation that exists. the need to simplify the legislation and the need to see that what has been in the statute book from the times of Methuselah will receive a new look and become more relevant to the times in which we operate. I welcome all these sentiments. and I endorse the sentiments they have given expression to. But I submit that the proper occasion to debate these questions in detail would be the debate on the Demands of the Labour Ministry. Therefore, I hope, the House will forgive me if I do not deal with all the questions that were raised by the hon. Members.

I would not like to say that any of the remarks made by any hon. Member was not relevant to the Bill. There are, however, a few remarks which are more relevant to the Bill. and I may be permitted to deal with these. The hon, Member, Mr. Rajan, and a few other hon. Members, asked a question as to why this Bill is not being made applicable to others as well. As far as the question of making this applicable to the unorganised sector and to workers in the rural areas is concerned, I beg to submit that the hon. Members who raised the question perhaps have not studied the Bill with the care with which I would have expected them to study it because it is very clear that this Bill relates particularly to Govservants. Therefore, ernment the more relevant question will be why the Bill should not be made applicable to State Government employees. In this regard, I can say that as far as the Central Government employees are concerned, it is the responsibility of our Government and this House to legislate. As far as the States are concerned, it is the intention of the Government to advise the States to introduce similiar legislation on the same lines to ensure that the employees of State Government<sub>s</sub> also have the benefit of the insurance scheme.

SHRI VASANT SATHE AKOLA: On a point of information. I quite appreciate that this Bill is meant only for Government employees under a scheme which was originally prepared. But it is a good scheme, a laudable scheme. Why can similar thing not be made applicable to the employees covered by the Payment of Wages Act? There should be no technical difficulty for doing so. not enable you Hereby itself, it will to extend the scope. You will have to say all those employees covered by the Payment of Wages Act, so that it can be done and introduce a scheme like this.

SHRI RAVINDRA VARMA: It is the intention of the Government to see that similar benefits reach as may workers as possible and in as many areas as can be covered. What is the best way in which this can be done is a matter one can look into. But it will be the policy of the Government to see that social security measures, particularly the benefits of insurance, are made available to the largest possible section of workers.

#### (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: If you go on asking questions after every sentence, then it will not be possible for him to finish his speech. You can ask questions probably after he finishes his speech.

SHRI RAVINDRA VARMA: I am willing to listen to Dr. Henry Austin. He has some good ideas to suggest. But I would like to conclude my speech. A remark was made about the Government not having done anything about what was described as the deteriorating labour situation. I will give a full answer to this question later at the time when the debate on the Demands for Grants of the Labour Ministry starts. At this time, I would like to tell the House that--Mr. Roy who is a very well informed Member should have known better about it. The Government has made consult trade union an effort to leaders, employers and the State Governments on the industrial situation country. It is not that the in the Government has taken no step to consult either the Members opposite or those who are particularly concerned with trade unions and labour relations.

As hon Members may be aware, the Ministry convened conferences where representatives of the trade unions were represented; they convened conferences where the representatives of the employers and the State Governments were represented. These were followed by a tripartite conference. The Government had revived the machinery for tripartite consultations which was put in the cold storage by the hon. Members opposite when they had the responsibility for running the administration of this country.

#### (Interruptions)

That was not the tripartite machinery. The hon. Member must be better informed. That was not a tripartite machinery, it was a bipartite machinery. For more than six years, there was no conference convened at all of the tripartite machinery; if the hon. Member knows the facts.

Sir, 1 do not want to go into all the questions that the hon. Members have raised. Some of the hon. Members have spoken with great emotion and feelings about the conditions of workers, particularly in Bihar and other areas. I appreciate the thoughts they have expressed. The Government is concerned with the problem that they have referred to. This is not the occasion for me to go into details. I the hope whom Demands of the Ministry are discussed, I shall have an

### [Shri Ravindra Varma]

opportunity to answer these questions at length. I do not want to take more of the time of the House now because whatever is particularly related to the Bill, I have tried to answer. I would once again, request the House to give full support to this Bill.

DR. HENRY AUSTIN (Ernakulam); I think the hon. Minister has explained the whole situation. I do not want to go into detail. I was wondering whether the hon. Minister could also think of extending its application to corporations which are directly under the Central Government. For instance, as far as IOC and the Food Corporation of India are concerned. they are more or less Central Government employees. Their status, for all practical purposes, is considered more or less as that of the Central Government employees. I have already raised this matter, because only recently a tin factory of the IOC employing about 300 employees—this is in my own constituency-had been dismantled and the workers were sent off and all that.

This would give some hope of Government security and a feeling that they are part of the Central Government employees. Perhaps this will not enlarge the scope of your amendment, but, nevertheless, it would be brought within the purview of your own present objective.

### 18.00 hrs.

SHRI RAVINDRA VARMA: In answer to the hon. Member, I would only say that the fact that we are advising the State Governments to adopt similar measures, to introduce similar schemes, is indicative of our attitude to the whole question and from this he can deduce an answer himself.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill further to amend the Payment of Wages Act, 1936, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, we take up clause-by-clause consideration. There are no amendments. The  $ques^r$  tion is:

"That Clause 2 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI RAVINDRA VARMA: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned till 11.00 a.m. tomorrow.

### 18.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, June 24, 1977/Asadha 3, 1899 (Saka).

GMGIPMRND-PMK-801 LS-JC-1276-25-7-77-998.